फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री चैनसिंह | बनाम | विपक्षी : श्री प्रेमसिंह

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | | पत्रावली संख्या : 77/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। नकल दिलाई गई। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर कोई आपत्ती नहीं जताई। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान द्वारा मौके व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपनी सहमती व्यक्ति की ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा रावतपुरा पटवार हल्का बग्गड भू–अभिलेख निरीक्षक खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 83 की आराजी नम्बर 457 से 474, 496 से 504, 518 से 521 किता 31 रकबा 2.9900 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:41:30 IST
Reason: SelfAttested